



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20035

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1160/2026

मुकेश कुमार और 19 अन्य.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अभिषेक कृष्ण, सूर्य केश यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता, महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कृष्ण, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, तथा आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी की दलीलें सुनी गईं।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, तथा आयोग की ओर से श्री अवनीश त्रिपाठी ने यह बयान दिया है कि वे कोई हलफनामा (affidavit) दाखिल करने का एस्ताव नहीं रखते हैं, और यह रिट याचिका रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही तय कर दी जाए, क्योंकि उनके पास इस संबंध में पर्याप्त निर्देश उपलब्ध हैं।
3. कुल 20 रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि विज्ञापन संख्या D-6/E-1/2025, दिनांक 22.12.2025 प्रकाशित किया गया था, जिसके माध्यम से पशु चिकित्सा अधिकारी के पद सहित कई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उक्त विज्ञापन में ही अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
4. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि उक्त विज्ञापन को उस सीमा तक रद्द कर दिया जाए, जिस सीमा तक वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।
5. आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.01.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिनके अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1984 है, और विज्ञापन के माध्यम से कुल 404 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उनके अनुसार, कुल पदों में से 27% पद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, जिनकी संख्या 535 बनती है; और इसके मुकाबले, इस श्रेणी में पहले से ही 588 पद भरे हुए हैं। अतः, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत किसी भी अभ्यर्थी को पद आवंटित करने के लिए अब कोई गुंजाइश या स्थान शेष नहीं है। 6. उक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह न्यायालय सहानुभूति के आधार पर कोई सकारात्मक आदेश पारित कर सकता है।
7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित व्यक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, न्यायालय की राय में, राज्य, जो कि नियोक्ता है, से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आयोग के माध्यम से पद को भरे, और आरक्षण सदैव संबंधित कानून के तहत बनाए गए रोस्टर के अधीन होता “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है। एक बार जब यह रिकॉर्ड पर आ गया है कि पशु चिकित्सा चिकित्सा अधिकारियों की 1984 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, 535 आरक्षित पदों के विरुद्ध 588 पद भरे जा चुके हैं, तो यह न्यायालय किसी न्यायिक आदेश द्वारा, कानून के विरुद्ध कोई व्यापक निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

8. तदनुसार, कोई उचित आधार नहीं बनता है, अतः रिट याचिका खारिज की जाती है।
9. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'A' के रूप में अंकित किया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”